वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी “SNA” लिमिट का उपयोग कैसे करें:-

1 . **“बाल समारोह”:-** विवरण-प्रत्येक विद्यालय के लिए 250 रूपए की लिमिट जारी,आदेशानुसार प्रति वर्ष 14 नवम्बर(बाल दिवस) को बच्चों के तीन समूह बनाकर उनके अभिभावकों के समक्ष a.सांस्कृतिक, b.खेलकूद तथा c.साहित्यिक आदि तीन प्रतियोगिताएँ करवाना तथा प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर आने वाले बालकों को 25-25 रूपए के मोमेंटो/प्रतीक चिह्न प्रदान करना है, कुल 9 बालक(3X3=9)[225 रू (मोमेंटो) +25 (विविध) =250 रू]

* CONPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Community Mobilization (Elementry)”, मा. शिक्षा- “Community Mobilization (Secondary)” |

* नोट:- बिल मोमेंटो/प्रतीक चिह्न (स्टेशनरी) का बनेगा |

* [संदर्भ:-राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3458, 26/07/2023]

2. **“समुदाय जागृति दिवस”:-** विवरण- प्रत्येक विद्यालय को 300 रूपए की लिमिट जारी, 16 अगस्त,2023, 14 अक्टूबर,2023, 10 जनवरी,2024(संशोधित) में तीन बैठकें बुलायी जानी है, उन्ही के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि विषयों पर तीन “सामुदायिक जागृति दिवस” मनाए जाने है, प्रत्येक बैठक में “सर्वाधिक उपस्थिति” वाले पांच-पांच बालकों को 100 रूपए(5 बालक X 20 रू) का पुरस्कार देना है,[5x3= कुल 15 बालक] |

* नोट:- 300 रूपए (15 बालक X 20 रू) का बिल स्टेशनरी (रजिस्टर,ड्राइंग बॉक्स, पेन, पेंसिल आदि) का बनाना है |

* COMPONENT- प्रा. शिक्षा- “Community Mobilization (Elementry)”, मा. शिक्षा- “Community Mobilization (Secondary)” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3256, 21/07/2023]

3. **“आपणी लाडो”:-** विवरण- प्रत्येक विद्यालय को 250 रूपए की लिमिट जारी, “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम के तहत् बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम व रैली का आयोजन करना तथा पोस्टर का निर्माण कर सार्वजानिक स्थल पर चिपकाना है, इस हेतु जुलाई,2023 में SDMC/SMC की बैठक बुलाई गई थी |

* नोट:- राशि का व्यय कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, कलर पेन, तख्तियों पर स्लोगन, छोटे बोर्ड आदि में किया जाएगा| बिल- स्टेशनरी का बनाना है |

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Community Mobilization (Elementry)”, मा. शिक्षा- “Community Mobilization (Secondary)” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 2000, 20/06/2023]

4. “SDMC/SMC ट्रेनिंग”:- विवरण- PEEO स्तर पर 2 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग, प्रत्येक विद्यालय से 6 सदस्य (5 कार्यकारिणी सदस्य + 1 जन प्रतिनिधि) संभागी भाग लेंगे |

पीईईओ स्तर हेतु जारी कुल राशि= कुल संभागी X 460 रू(प्रति व्यक्ति औसत राशि)

* नोट :- राशि का व्यय प्रतिदिन प्रति संभागी 140 रूपए नकद (भोजन औरकिराये बाबत), 40 रूपए जलपान, चाय, नाश्ता बाबत, 400 रूपए प्रति दक्ष प्रशिक्षक (कुल 2) मानदेय, 550 रूपए व्यवस्था हेतु विविध खर्चा, 150 रूपए व्यवस्थापक मानदेय प्रतिदिन आदि |

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Training of SMC/SDMC (Elementary)”, मा. शिक्षा- “Training of SDMC (Secondary)” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3502, 27/07/2023]

5. “Volunteers ट्रेनिंग”:- विवरण- प्रत्येक विद्यालय के लिए 585 रूपए की लिमिट जारी, विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव व सेतु के रूप में तथा बच्चों के ठहराव में सहयोग हेतु नियुक्त 10 से 20 Volunteers की एक दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग|

* नोट:- राशि का व्यय – दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय 300 रूपए, जलपान, चाय, नाश्ता हेतु 200 रूपए, अन्य विविध खर्चा 85 रूपए, कुल योग 585 रूपए |

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Community Mobilization(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Community Mobilization(Secondary)” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3030, 17/07/2023]

6. “स्पोर्ट्स ग्रांट”:- विवरण- बच्चों के शारीरिक व सर्वांगीण विकास हेतु प्रा.वि .हेतु 5000 रू, उ. प्रा. वि. हेतु 10,000 रू तथा उ. मा.वि .हेतु 25,000 रू की लिमिट जारी,

* नोट :- राशि का व्यय - बच्चों की आवश्यकता व वर्ग वाईज सूची के अनुसार करें

* COMPONENT- प्रा. शिक्षा- “Sports and Physical Education(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Sports and Physical Education(Upto Highest Class 12th)” |

* [संदर्भ :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1840, 13/06/2023]

7. “यूथ एवं ईको क्लब”:- विवरण- प्रा.वि.- 5000 रू, उ.प्रा.वि.-10000 रू, उ. मा. वि. हेतु 15000 रू की लिमिट जारी| बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मविश्वास,पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने तथा तनाव ,भय को दूर करने हेतु एक “यूथ क्लब” की स्थापना करना | कक्षा 1से 8 तक तथा 9 से 12 तक पृथक्-पृथक् पाँच-पाँच सदन “पृथ्वी ,जल ,वायु ,आकाश व अग्नि” का गठन कर विभिन्न प्रतियोगिताएँ करवाना |

* नोट:- राशि का व्यय– विद्यालय के मुख्य द्वार पर “4 ft x 2.5 ft” का एक बोर्ड (“यूथ एवं ईको क्लब, समग्र शिक्षा राजस्थान ” नाम युक्त), वृक्षारोपण ,ट्री गार्ड,बागवानी हेतु उपकरण किट, फावड़ा, खुरपी, कुदाली, पाईप, बाल्टी, डस्टबिन, शौचालय और मूत्रालय की सफाई हेतु उपकरण, पर्यावरण जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग व स्लोगन, बच्चों की ऊँचाई मापने और भार तोलने की मशीन, बच्चों में प्रतियोगिता हेतु स्टेशनरी आदि के क्रय में |

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Youth and Eco Club(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Youth and Eco Club” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1882, 14/06/2023]

8. “कम्पोजिट स्कूल ग्रांट”:- विवरण- नामांकन के आधार पर जारी लिमिट-10,000 रू, 25,000 रू, 50,000रू, 75,000 रू, 1,00,000 रू आदि ,

* नोट:- राशि का व्यय- दरी, स्टेशनरी, पेयजल, विद्युत् व्यय, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएँ, खेल, लैब, प्रयोगशाला, चॉक, डस्टर, समाचार पत्र(अनिवार्य), TLM, भवन मरम्मत, रंग-रोगन आदि के क्रय में |

* नोट:- “स्वच्छता एक्शन प्लान” के तहत् राशि का कम से कम 10% व्यय साफ-सफाई (शौचालय-मूत्रालय आदि) में होना चाहिए तथा ध्यान दें, कि फर्नीचर क्रय और उत्सव मनाने में व्यय नहीं करना है |

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Composite School Grant(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Composite School Grant” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 1966, 16/06/2023]

9. “CRC(संकुल संदर्भ केंद्र) ग्रांट”:- विवरण- केवल PEEO/CRC स्कूल हेतु 22000 रू की लिमिट जारी,

* नोट:- राशि का व्यय- A. “Contingency/कन्टेंजेंसी ग्रांट”:-15000 रू ,वर्ष भर समसा कार्यों के निष्पादन हेतु हेतु स्टेशनरी, फोटोकॉपी,दूरभाष,ऑनलाइन कार्य शालादर्पण, शालासिद्धि आदि हेतु , नोट:- बिल A4 रिम, प्रिंटर स्याही, रजिस्टर,फाइल,पेन,नेट रिचार्जिंग आदि का बनेगा |

B. मीटिंग व T.A. ग्रांट:- 5000 रू - वर्ष भर समय-समय पर CRC(PEEO) स्तर पर शैक्षिक नवाचार व कार्यशाला हेतु अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान व स्टाफ सदस्यों की मीटिंग के आयोजन हेतु, नोट:- बिल अल्पाहार- चाय ,नाश्ता ,पेयजल तथा अधीनस्थ विद्यालय के संभागियों हेतु नियमानुसार TA का बिल बनेगा, नोट:-ध्यान दें,कि यह TA राशि PEEO साहब हेतु नहीं है |

C. "TLM ग्रांट":- स्वयं व अधीनस्थ विद्यालयों हेतु विज्ञान, गणित, S.St. आदि विषयों के शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु चार्ट, मॉडल,मानचित्र,कलर पेन,थर्माकोल आदि स्टेशनरी का बिल बनेगा |

D. "मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट":-1000 रू, PEEO साहब द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के अवलोकन हेतु TA बिल बनेगा | नियमानुसार TA दर 9 रू/किमी(फोर व्हीलर) व 3 रू/किमी (टू व्हीलर) है |

* COMPONENT:- "Mobility Support for CRC(CRC Mentoring of School and Teachers)" |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक -1967, 16/06/2023]

10. "रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण":- विवरण- कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्म रक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करने बाबत सक्षम अभियान(आत्म रक्षा प्रशिक्षण) संचालित, इसके तहत् कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 हेतु पृथक्-पृथक् समूह बनाकर महिला शारीरिक शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |

* प्रत्येक उ.प्रा.वि. तथा उ.मा.वि.स्कूल हेतु 2700 रू की लिमिट जारी ,

* नोट:- राशि का व्यय- 2000रू का प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार, 700 रू- पोस्टर, बैनर व बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र आदि में |

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- "Self Defence Training for Girls(Elementary)", मा. शिक्षा- "Project-Girl Empowerment(Secondary)" |

* [सन्दर्भ:- राजस्थन स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक: 3240,दिनांक 21/07/2023]

11. "वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह":- विवरण- सत्र पर्यंत शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों में तथा गत सत्र में बोर्ड कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करने व भामाशाहों से सहयोग प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी से 30 जनवरी,2024 के मध्य करवाया जाना है तथा बोर्ड में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का नाम सूचना पट्ट पर अंकित करवाया जाना है और वार्षिकोत्सव के साथ-साथ Alumni Meet(पूर्व विद्यार्थी सम्मलेन) का भी आयोजन करना है|

* प्रा.वि. और उ.प्रा.वि. हेतु 5,000 रू तथा उ.मा.वि. हेतु 10,000 रू की लिमिट जारी |

* नोट:- राशि का व्यय- स्टेशनरी बच्चों के पुरस्कार हेतु मोमेंटो, शील्ड, रजिस्टर, पेन-पेंसिल आदि तथा बैठक व्यवस्था हेतु टेंट, साउंड सिस्टम, जलपान तथा कार्यक्रम के प्रचार हेतु मुद्रण कार्य आदि|

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक-1954, 16/06/2023]

12. "बालिका सशक्तिकरण व जीवन कौशल विकास कार्यक्रम":-

A. "मीना-राजू मंच व गार्गी मंच":- विवरण- सभी उ.प्रा.वि. व उ.मा.वि. में मीना-राजू मंच में कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका व 2 बालक, कुल 15 बच्चे तथा गार्गी मंच में कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका व 2 बालक, कुल 20 बच्चे चयनित तथा शेष सभी बच्चे इसके सदस्य होंगे| मीना और राजू बच्चों के जीवन कौशल विकास हेतु रचित कहानियों के दो पात्र हैं, वर्ष में इनके कुल 12-12 सत्र आयोजित किये जाते हैं |

* राशि- 500 रू, मीना-राजू व गार्गी मंच की गतिविधियाँ करवाने तथा कोर्नर की स्थापना हेतु,

* नोट:- बिल स्टेशनरी का बनेगा, रजिस्टर, पेन, चार्ट, कलर पेन, मीना-राजू मंच की अध्ययन सामग्री आदि का|

B."किशोरी शैक्षिक उत्सव (मेला)":- विवरण- आदेशानुसार अगस्त, 2023 में PEEO/CRC स्तर पर किशोरी मेले (स्टॉल) का आयोजन किया जाना था| प्रारंभिक व माध्यमिक दोनों श्रेणियों में अलग-अलग तीन जोन प्रथम- "हिंदी/अंग्रेजी", द्वितीय- "विज्ञान/गणित" तथा तृतीय- "सामाजिक विज्ञान/समसामयिक परिप्रेक्ष्य में" के अंतर्गत गतिविधि करवाना तथा प्रथम तीन स्टॉल/प्रस्तुति को प्रशस्ति पत्र देना| एकल प्रस्तुति में केवल बालिकाएं,जबकि सामुहिक प्रस्तुति में बालक-बालिकाएं दोनों भाग ले सकते हैं|

* नोट:- राशि का व्यय- स्टॉल हेतु स्टेशनरी यथा मॉडल, चार्ट, पोस्टर, कलर पेन, बच्चों हेतु पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र, अन्य मेले की व्यवस्था बाबत, नोट:- बिल स्टेशनरी का बनेगा|

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- "Special Project for Equity(Elementary)", मा. शिक्षा- "Special Project for Equity" |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3297, 24/07/2023]

13. "सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण(Fund for Safety and Security Activities)":- विवरण- सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य स्तम्भ "आपदा जोखिम में कमी", "बाल सरक्षण", "स्वास्थ्य और स्वच्छता", "पर्यावरण व मनोसामाजिक पहलू" आदि के मद्देनजर विद्यालय में कक्षा समूह 4-5, 6-8, 9-10, 11-12 आदि सभी में से विद्यार्थियों का चयन

करते हुए 25 सदस्यीय "चाइल्ड राइट क्लब" का गठन करना तथा एक अध्यापक को "बाल संरक्षण अधिकारी" के रूप में नामित करना एवं प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को बैठक का आयोजन करना है तथा सभी विद्यालयों में 20 नवम्बर को "अंतर्राष्टीय बाल अधिकार दिवस" मनाया गया था|

* विद्यालय में वर्ष में दो बार कमेटी द्वारा सेफ्टी ऑडिट भी की जाएगी, कमेटी में संस्था प्रधान, बाल संरक्षक मेंटर टीचर, 2 अभिभावक(SDMC सदस्य), 2 बच्चे आदि कुल 6 सदस्य होंगें |

* नोट:- राशि का व्यय - प्रत्येक विद्यालय हेतु कुल 2000 रू की लिमिट जारी, इसमें से (a). 500 रू – चाइल्ड राइट क्लब के 25 सदस्यों के नाम युक्त बोर्ड अथवा दीवार पर पेंटिंग करवाना, (b). 500 रू- श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों व अध्यापक को प्रशंसा पत्र देना, (c). 500 रू बाल संरक्षक विशेषज्ञ के निर्देशन में बैठक का आयोजन, चाय, जलपान आदि, (d). 500 रू- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् "IEC" सामग्री के प्रदर्शन हेतु "5 ft x 4 ft" का बोर्ड बनवाना, जिसकी विषयवस्तु परिषद् द्वारा प्रदान की जाएगी|

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा व मा. शिक्षा -"Funds for Safety and Security"

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3296, 24/07/2023]

14. "निपुण मेला":- विवरण- "निपुण भारत मिशन" के तहत् प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा 1-3 तक) में "बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान (FLN)" की प्राप्ति हेतु नवाचारी गतिविधि के रूप में "निपुण मेले" का आयोजन किया जाना है तथा 14 नवम्बर,2023 को "बाल दिवस" के अवसर पर आयोजित इस मेले में PEEO क्षेत्र के कक्षा 1-3 तक के सभी बच्चें तथा समन्वित आंगनबाड़ी के सभी बच्चें भाग लेंगे तथा इसमें बच्चों द्वारा न्यूनतम 5 स्टॉल लगाई जानी हैं|

* नोट:-राशि- कुल 3000 रू की लिमिट जारी, इसमें से (a). 600 रू TLM के निर्माण हेतु स्टेशनरी सामग्री का क्रय यथा चार्ट, रंगीन कागज, कलर पेन आदि, (b). 1000 रू- 5 स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करना यथा पानी की बोतल, पेन/पेन्सिल, लंच बॉक्स आदि, (c). 1000 रू- स्टॉल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों हेतु अल्पाहार, चाय,जलपान आदि, (d). 400 रू- स्टॉल हेतु टेंट व बैठक व्यवस्था आदि |

* COMPONENT:- मा. शिक्षा- "Other Quality Initiatives" |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक-3595, 28/07/2023]

15. "TAF (शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र)-Performance Indicators-PINDICS":-

विवरण- शिक्षकों द्वारा प्रथम छ:माही (जनवरी से जून,2023) तथा द्वितीय छ:माही (जुलाई से दिसम्बर,2023) के TAF भरने के उपरांत PEEO/CRC स्तर पर क्रमशः

अगस्त/सितम्बर,2023 तथा फरवरी,2024 में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी तथा उसमें TAF से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा व समस्या समाधान किया जाएगा|

* नोट:-राशि- दोनों बैठकों हेतु प्रति शिक्षक 100 रू (50 रू प्रति बैठक) की लिमिट जारी,

* राशि का व्यय:- स्टेशनरी- नोट पैड, पेन,कागज आदि व बैठक व्यवस्था, चाय, जलपान आदि में किया जाएगा|

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Project Innovation(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Project Innovative Activities(Secondary and Sr. Secondary)” |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3596, 28/07/2023]

16. “एक भारत-श्रेष्ठ भारत”:- विवरण- बच्चों में भारत के विभिन्न राज्यों(राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से असम) के प्रति राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने हेतु उनकी संस्कृति, भाषा आदि पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करवाना यथा- असम राज्य के लोक गीत, लोक नृत्य, संगीत वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, पारम्परिक खेल, एकल अभिनय, अन्य प्रतियोगिताएँ आदि | नोट:- इनकी प्रविष्टि शालादर्पण पर “विद्यालय” टैब में जाकर “एक भारत-श्रेष्ठ” में की जानी है|

* नोट:- राशि- 100 रू प्रति विद्यालय, राशि का व्यय गतिविधियों के आयोजन हेतु स्टेशनरी- चार्ट, कलर पेन आदि व श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार-रजिस्टर,पेन,पेंसिल आदि में करना है|

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- “Project Innovation(Elementary)”, मा. शिक्षा- “Project Innovative Activities(Secondary and Sr. Secondary)” |

17. “ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना”:- विवरण- कक्षा 1 से 8 तक बालक-बालिका दोनों को, जबकि कक्षा 9 से 10 तक केवल बालिकाओं को, जिन्होंने निश्शुल्क साईकिल योजना का लाभ नहीं लिया हो,लाभ देय होगा, नोट:- सत्र 2023-24 में कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं के लिए लाभ का प्रावधान नहीं है |

* कक्षा 1 से 5 तक 1 km की परिधि में कोई भी प्रा.विद्यालय नहीं होने पर तथा विद्यालय की दूरी 1 km से अधिक होने पर 10 रू प्रति कार्यदिवस देय, कक्षा 6 से 8 तक 2 km से अधिक दूरी होने पर 15 रू प्रति कार्यदिवस तथा कक्षा 9 से 10 तक 5 km से अधिक दूरी होने पर 20 रू प्रति कार्यदिवस देय होंगे| नोट:- कक्षा 1 से 8 तक आधिकतम राशि 3,000 रू तथा कक्षा 9 से 10 में 5,400 रू होगी|

* COMPONENT:- प्रा. शिक्षा- Transport/Escort Facility(Elementary), मा. शिक्षा- Transport/ Escort Facility

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक-1880, 14/06/2023]

18. "व्यावसायिक शिक्षा एक्सपोजर विजिट(कक्षा 6 से 8 तक)":- विवरण- सितम्बर,2023 से जनवरी,2024 तक प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को कुल 10 नो बैग डै को गतिविधियाँ आयोजित करनी है, संस्थाप्रधान की मोनिटरिंग में SKF/कौशल मित्र पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्थानीय कारीगर व हस्त शिल्प विशेषज्ञ का चयन व उनसे समन्वय स्थापित कर उक्त गतिविधि का निष्पादन करेंगे|

* 14 फरवरी,2023 को विद्यालय में "बाल मेला" का आयोजन करना है |

* नोट:-राशि-15,000 रू प्रति विद्यालय, राशि का व्यय- (a). 500 रू- फ्लेक्स/बैनर बनवाना है, (b). 5,400 रू- स्थानीय कारीगर/हस्त शिल्प विशेषज्ञ पर व्यय, (c). 4,000 रू- बच्चों द्वारा अभ्यास हेतु कच्ची सामग्री का क्रय (पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार), (d). 1100 रू- श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार आदि |

* COMPONENT:- "Recurring Support VE- new",

* नोट:- "Raw Material Grant", "Cost of Providing Hands Skill Training for Students", "Office Expences Contingencies for School" आदि का कम्पोनेंट "Recurring Support VE existing" आएगा|

19. "अधिगम संवर्धन कार्यक्रम/उपचारात्मक शिक्षण":- विवरण- विद्यार्थियों के अधिगम अन्तराल को कम करने तथा कक्षा स्तर के अनुरूप उनमें सुधार करने हेतु कक्षा 9 से 12 तक यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया |

* कक्षा 9 व 10 में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा कक्षा 11 व 12 में प्रति संकाय अधिकतम 3 विषयों (आवश्यकतानुसार) का 1 अगस्त,2023 से प्रारम्भ कर 31 अक्टूम्बर,2023 तक 60 घंटे प्रति विषय प्रति कक्षा उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना था |

* कक्षा 9 व 10 हेतु बाह्य व्यक्ति को 200 रू प्रति घंटा प्रति विषय, जबकि कक्षा 11 व 12 हेतु 300 रू प्रति घंटा प्रति विषय मानदेय देय होगा |

* नोट:- उपचारात्मक शिक्षण हेतु पेपर रिम, फाइल, फोटोकॉपी, चार्ट, मॉडल आदि शिक्षण सहायक सामग्री हेतु कक्षा 9 व 10 हेतु 500 रू प्रति कक्षा(कुल 1000 रू) तथा कक्षा 11 व 12 दोनों के लिए कुल 500 रू प्रति संकाय देय होंगे, नोट:- बिल स्टेशनरी का बनाना है |

* उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व व पश्चात् बच्चों का आंकलन लिया जाकर उसका रिकोर्ड संधारित करना है |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3579, 28/07/2023]

20. **"शाला सिद्धि- बाह्य मूल्यांकन":-** विवरण- चिह्नित विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन 3 सदस्यीय जाँच दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रधानाचार्य स्तर के एक अधिकारी दल प्रमुख तथा 2 अन्य सहयोगी कार्मिक होंगे |

* इस कार्य हेतु 500 रू कुल राशि जिसमें से 200 रू दल प्रमुख को तथा 150 रू प्रत्येक सहयोगी को मानदेय के रूप में होगी |

* [संदर्भ:- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का आदेश क्रमांक- 3698, 01/08/2023]

21. **नोट:-** "SNA" पर बिल बनाने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें, कि कौनसे मद की कितनी लिमिट कौनसे कम्पोनेंट में जारी हुई है अथवा नहीं, इसका भलीभांति मिलान करने के उपरांत ही बिल बनाएं, अन्यथा त्रुटि हो जाएगी, इस हेतु SNA में लॉग इन कर "Reports" में "Agency Reports" में जाकर "IA/Vender Reports" में Fund Allocation and Expenditure Report" पर क्लिक कर तिथि भरकर PDF प्राप्त करें और फिर गहनता से अवलोकन करने के उपरांत बिल बनाएं |

सादर |